हिन्दू संपत्ति व्ययन अधिनियम, 1916

(1916 का अधिनियम संख्यांक 15)

[28 सितम्बर, 1916]

हिन्दूओं द्वारा उन व्यक्तियों के फायदे के लिए, जो ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं हैं, संपत्ति के व्ययन की शक्ति के बारे में, कतिपय विद्यमान निर्योग्यताओं का निराकरण करने के लिए

अधिनियम

हिन्दुओं द्वारा उन व्यक्तियों के फायदे के लिए, जो ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं हैं, संपत्ति के व्ययन की शक्ति के बारे में कतिपय विद्यमान निर्योग्यताओं का निराकरण करना समीचीन है; अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिन्दू संपत्ति व्ययन अधिनियम, 1916 है ।

[1][(2) इसका विस्तार [2]*** सम्पूर्ण भारत पर है ।][3]

2. ऐसे व्यक्तियों के, जो अस्तिव में नहीं हैं, फायदे के लिए व्ययन—इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट मर्यादाओं तथा उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी हिन्दू द्वारा संपत्ति का कोई भी व्ययन, चाहे वह जीवन काल में अंतरण द्वारा किया गया हो या विल द्वारा, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि कोई व्यक्ति, जिसके फायदे के लिए वह किया गया हो, ऐसे व्ययन की तारीख को अस्तित्व में नहीं था ।

3. मर्यादाएं तथा श्ार्तें—धारा 2 में निर्दिष्ट मर्यादाएं तथा उपबंध निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :—

(क) जीवन काल में अंतरण द्वारा व्ययनों के बारे में, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 (1882 का 4) के [4][अध्याय 2] में अन्तर्विष्ट हैं, और

(ख) विल द्वारा व्ययनों के बारे में, जो [5][भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 33) की धारा 113, 114, 115 और 116] में अंतर्विष्ट हैं ।

4. [**पूर्विक व्ययन में असफलता** ।]—संम्पत्ति अंतरण (संशोधन) अनुपूरक अधिनियम, 1929 (1929 का 21) की धारा 12 द्वारा निरसित ।

5. खोजा समाज को इस अधिनियम का लागू होना—जहां [6][राज्य सरकार] की यह राय है कि [7][उस राज्य] का खोजा समाज या उसका कोई भाग यह चाहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों का ऐसे समाज पर विस्तार किया जाना चाहिए, वहां [8][वह] राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस समाज को ऐसे क्षेत्र में, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, "हिन्दुओं" या "हिन्दू" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वे श्ाब्द आते हैं, यथास्थिति "खोजाओं" या "खोजा" शब्द के प्रतिस्थापन के साथ लागू होंगे, और तब यह अधिनियम तदनुसार प्रभावी होगा ।

———

[1] 1959 के अधिनियम सं० 48 की धारा 3 तथा अनुसूची 1 द्वारा (1-2-1960 से) उपधारा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।
[3] अधिनियम का विस्तार दादरा और नागर हवेली पर 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा किया गया ।
धारा 1 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक पांडिचेरी को लागू करने के लिए अंत:स्थापित किया गया—
"परंतु इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र के रेनान्साओं को लागू नहीं होगी" । (देखिए 1968 का अधिनियम सं० 26)
[4] 1929 के अधिनियम सं० 21 की धारा 12 द्वारा "धारा 13, 14 और 20" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1929 के अधिनियम सं० 21 की धारा 12 द्वारा "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1865 की धारा 100 और 101" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर-जनरल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश इंडिया" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[8] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंग्रेजी पाठ में "ही" शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।